संख्या-07/2021/2055 /52-2-2021-27(परिपत्र)/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ,

उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषय- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) (AMENDMENT) ACT, 2014) में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में वक्फ सम्पत्तियों पर किये गये अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाने तथा अधिनयम की व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निम्नलिखित प्राविधान किया गया हैः-

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि(अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम,1972 की धारा 2 में, खण्ड (ड) में उपखण्ड (4) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः-

"(5) या वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति"

उपर्युक्त संशोधन के द्वारा वक्फ की स्थावर सम्पत्तियों को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सार्वजनिक भू-गृहादि **(PUBLIC PREMISES)** के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

2- इस संबंध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति पर किये गये अवैध कब्जे/ अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में उक्त अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था/प्रविधानों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त विहित प्राधिकारियों (PRESCRIBED AUTHORITIES) को आवश्यक निर्देश देना सुनिश्चित करें तथा उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत वक्फ सम्पत्ति के अनधिकृत अध्यासियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही से शासन को अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0- 2055(1)/52-2-2021-27(परिपत्र)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उ0प्र0।

2-सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0।

3-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4-गृह(पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5- राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

6-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त उपनिदेशकों/ समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से नियमित अनुश्रवण/समन्वय करते हुए समयबद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से समय पर शासन को भी अवगत कराये।

7-पुलिस कमिश्नर लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर ।

8-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

9-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।

10-समस्त उपनिदेशक/समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से समन्वय/ सम्पर्क कर सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in